

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. AND LUXURY TAX  
L & N BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No. F.10(210)/EX./IMFL/2011-12/Pt. File/434-450 Dated: 02/04/2024

**ORDER**

In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following dates shall be observed as "Dry Days" in the National Capital Territory of Delhi by all L-1, L1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-8, L-9, L-10, L-11, L-14, L-18, L-18F, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35 licensees of the Excise Department and opium vends located in Delhi:

Sl.No	Occasion	Date	Day
1.	Id-ul-Fitr	11.04.2024	Thursday
2.	Ram Navami	17.04.2024	Wednesday
3.	Mahavir Jayanti	21.04.2024	Sunday
4.	Buddha Purnima	23.05.2024	Thursday
5.	Id-ul-Zuha (Bakrid)	17.06.2024	Monday

The licensees shall not be entitled to any compensation on account of any changes effected in the above list.

All the licensees shall exhibit this order at some conspicuous place of their licensed premises.

The business premises of a licensee shall be kept closed on dry day.

*K. J. 2/4/24*  
(KRISHNA MOHAN UPPU)  
COMMISSIONER (EXCISE)

Contd...P...2

No. F.10(210)/EX./IMFL/2011-12/Pt. File/434-450 Dated: 02/04/2024

**Copy forwarded to:-**

1. The Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi.
2. The Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt of NCT of Delhi.
4. The Chief Secretary, Govt of NCT of Delhi.
5. The Addl. Chief Secretary (Finance), Govt of NCT of Delhi.
6. The Commissioner of Police, NCT of Delhi
7. The Divisional Commissioner-Cum-Secretary (Revenue) NCT of Delhi
8. The Director of Information and Publicity for wide publicity
9. The Under Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi
10. The Dy. Commissioner (Taxes/Excise), Deptt. Of Excise, Entt. & Luxury Tax.
11. The A.C. (ESCIMS) for uploading the same on the online portal through IT.
12. The A.C. (Permit) for necessary action.
13. In-charge Computer Cell for uploading the same on the website of the Excise Department.
14. All the Branch Officers, Excise Department, Delhi with the request to circulate this order to all the licensees under their control.
15. All Excise Inspectors/Sub Inspectors for ensuring strict compliance.
16. The Managing Director, DSIIDC, DTTDC, DSCSC and Administrator, DCCWS.
17. All licensees.
18. Guard File.

  
(JITENDRA AGRAWAL)  
DEPUTY COMMISSIONER (EXCISE)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
कार्यालय आबकारी आयुक्त  
एल- ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा.10 (210)/ ई. एक्स./आब/आई.एम.एफ.एल/2011-12/पार्ट फाइल-1/434-456 दिनांक: 02/04/2024

**आदेश**

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कुछ अवसरों के उपरांत "शुष्क दिवस" घोषित किया जाता है जो कि आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों एल-१, एल-१एफ, एल-२, एल-३, एल-४, एल-५, एल-६, एल-६एफजी, एल-६ एफई, एल-८, एल-९, एल-१०, एल-११, एल-१४, एल-१८, एल-१८एफ, एल-२३, एल-२३एफ, एल-२५, एल-२६, एल-३१, एल-३२, एल-३३, एल-३४ एवं एल-३५ और अफीम की दुकान के लाइसेंस धारकों पर लागू होगा।

क्रम संख्या	अवसर	तारीख	दिन
1.	ईद-उल-फितर	11.04.2024	गुरुवार
2.	राम नवमी	17.04.2024	बुधवार
3.	महावीर जयंती	21.04.2024	रविवार
4.	बुद्ध पूर्णिमा	23.05.2024	गुरुवार
5.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	17.06.2024	सोमवार

लाइसेंसधारी उक्त सूची के अंतर्गत किये जाने वाले परिवर्तन के कारण हुई क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।

सभी लाइसेंसधारी इस सूची को अपने लाइसेंस परिसर में उचित स्थान पर दर्शायेंगे।

"शुष्क दिवस" पर वाणिज्य परिसर बंद रहेंगे।

कृष्ण मोहन  
2/4/24  
(कृष्ण मोहन उप्पू)  
आबकारी आयुक्त

सं.फा.10 (210)/ ई. एक्स./आब/आई.एम.एफ.एल/2011-12/पार्ट फाइल-1/ 434-450 दिनांक: 02/04/2024

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

1. माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के प्रधान सचिव, राज निवास दिल्ली.
2. माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अपर सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
3. माननीय वित्त मंत्री दिल्ली के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
4. मुख्य सचिव दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
5. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
6. पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
7. संभागीय आयुक्त, एवं सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
8. उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिल्ली गजट में अधिसूचना के लिए.
9. अवर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली. 10. उपायुक्त (आबकारी/ कर), आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली..
11. सभी शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग इस आदेश को सभी लाइसेंसधारियों को जो उनके नियंत्रण में हैं, उनको प्रसारित करने हेतु
12. सभी आबकारी निरीक्षक/उप-निरीक्षक कड़ाई से अनुपालन हेतु.
13. प्रबंधक निदेशक, डी.एस.आई.डी. सी. डी. टी. टी. डी. सी. डी.एस.सी.एस.सी एवं प्रशासक, डी.सी.सी.डब्लू. एस. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
14. सभी लाइसेंसधारकों को प्रेषित
15. सयुक्त निर्देशक (ई.एस.सी.आई.एम.एस.) विभागीय पोर्टल पर आई. टी. द्वारा उपलोड कराने हेतु.
16. प्रभारी कंप्यूटर सेल, विभागीय वेबसाइट पर उपलोड कराने हेतु,
17. गार्ड फाइल.

**जितेंद्र अग्रवाल**  
( जितेंद्र अग्रवाल )

आबकारी उप-आयुक्त